समाज कल्याण विभाग
मूक एवं बधिर विद्यालय परिसर,
दिल्ली गेट, नई दिल्ली–02

अतारांकित प्रश्न संख्या:- 197

दिनांक: - 22.03.2018

प्रश्नकर्ता: - श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा

क्या समाज कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि

	प्रश्न	उत्तर
(क)	दिल्ली सरकार किस–किस श्रेणी के नागरिकों को पेन्शन व आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, श्रेणीवार उनका विस्तृत विवरण क्या है;	दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही आर्थिक सहायता योजनाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है– **वृद्धावस्था पेंशन योजना** के अन्तर्गत 60–69 आयु वर्ग के वृद्धों को 2000/– रूपये प्रतिमाह एवं अनुसूचित जाति/जन जाति अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को अतिरिक्त 500/– रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । तथा 70 और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों को 2500/– रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है । **पात्रता–** • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो। • प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पाँच वर्ष का निवासी हो । • परिवार की आय 1 लाख रू0 वार्षिक से अधिक न हो । • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। **विकलांग पेंशन योजना –** रूपये 2500/–प्रतिमाह। **पात्रता–** • आयु सीमा 0 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये । • प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। • प्रार्थी की विकलांगता 40 प्रतिशत से कम न

Director (Social Welfare)
Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002

		हो। • परिवार की सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो। • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो। **दिल्ली पारिवारिक लाभ योजना–** इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 20,000/–रू0 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। **पात्रता–** • मृतक की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिये । • प्रार्थी गत 5 वर्ष से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए। • परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख रूपये से अधिक न हो।
(ख)	कितने पेन्शनधारियों को संशोधित पेन्शन उपलब्ध करा दी गई है;	जिन पेंशनधारियो को संशोधित पेंशन उपलब्ध करा दी गई है उनका विवरण निम्न प्रकार है– वृद्धावस्था पेंशन– 325486 विकलांग पेंशन– 56846
(ग)	सभी पात्र पेंशनधारियों को संशोधित पेन्शन नियमित रूप से मिलती रहे, यह सुनिश्चत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;	जिन पेशनधारियो के खाते आधार से लिंक हैं उनको संशोधित पेंशन नियमित रूप से प्रेषित की जा रही है। विभाग समय–समय पर समाचारपत्रों में विज्ञापन के माध्यम से तथा प्रचार कैंप आदि लगवाकर **Pamphlet/Poster** आदि द्वारा लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की हिदायत दे रहा है।
(घ)	क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली रही हैं कि पेन्शनधारियों को संशोधित पेन्शन नहीं प्राप्त हो रही है; और	जी हां, लेकिन केवल जिन पेंशनधारियो के खाते आधार से लिंक नहीं हैं केवल उन्हीं को संशोधित पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है।
(ड)	यदि हॉ तो अभी तक सरकारी आंकडों के अनुसार कितने पेन्शन धारियों को संशोधित पेन्शन नही मिल रही है ?	जिन लाभार्थियों को संशोधित पेंशन नहीं मिल रही है उनका विवरण निम्न प्रकार है– वृद्धावस्था पेंशन– 107484 विकलांग पेंशन– 19500

Social Welfare Department
Govt. of NCT of Delhi
G.L.N.S. Complex, Delhi Gate
New Delhi-110002